संख्या-32/2018/1447/46-1-18-1000(56)/2014

प्रेषक,

नरेश बहादुर,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

गन्ना आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

चीनी उद्योग अनुभाग-1 लखनऊः दिनांक 23 जुलाई, 2018

विषय- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना वर्ष 2018-19 के अन्तर्गत आय-व्ययक में **हाईक्वाल्टी शुगरकेन शीड प्रोडेक्शन एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम हेतु रु. 440.75 लाख तथा इनहांसिंग शुगरकेन प्रोडेक्शन इन यू.पी. हेतु रु. 5.19 लाख** कुल अवमुक्त धनराशि रू. 445.94 लाख का व्यय/उपयोग की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने समदिनांकित पत्र संख्या-कैं.1024सी एवं 1025सी./रा0कृ.वि.योजना, दिनांक 04.07.2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से कृषि अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-662/12-3-2018-100(43)/2017, दिनांक 28 जून, 2018 के द्वारा निर्गत की गयी वित्तीय स्वीकृतियों के अनुक्रम में प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृषि विभाग (नोडल विभाग) द्वारा मुख्य सचिव, उ.प्र. की अध्यक्षता वाली एस.एल.एस.सी. द्वारा अनुमोदित धनराशि के सापेक्ष गन्ना विकास विभाग के हाईक्वाल्टी सुगरकेन शीड प्रोडेक्सन एण्ड डिस्ट्रीब्यूसन प्रोग्राम तथा इनहांसिंग सुगरकेन शीड प्रोडेक्सन इन यू.पी. हेतु, वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष क्रमशः रु. 440.75 लाख (रुपये चार करोड़ चालीस लाख पचहत्तर हजार मात्र) एवं रु. 5.19 लाख (रुपये पाँच लाख उन्नीस हजार मात्र) अर्थात कुल धनराशि रू. 445.94 लाख (रूपये चार करोड़ पैंतालीस लाख चौरानबे हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति विषयक शासनादेश संख्या-662/12-3-2018-100(43)/2017 दिनांक 28 जून, 2018 के माध्यम से अवमुक्त की गयी उक्त धनराशि से, इस पत्र के संलग्नक-1 एवं संलग्नक-2 में दिये गये जनपदवार/कार्यक्रमवार फॉट/कार्ययोजना के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2018-19 में गन्ना विकास विभाग के शुगरकेन सीड प्रोडेक्शन प्रोग्राम के भौतिक कार्यो हेतु, निम्नलिखित शर्तो के अधीन, उपयोग/व्यय किये जाने की एतद्द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति/अनुमति प्रदान की जाती हैः-

(1) प्रस्तर-2 में स्वीकृत धनराशि का व्यय कृषि विभाग के उक्त शासनादेश संख्या-662/12-3-2018-100(43)/2017 दिनांक 28 जून, 2018 में दिये गये शर्तो/प्राविधानों के अनुसार समयान्तर्गत आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए शासन/कृषि विभाग एवं अन्य सम्बन्धित को प्रमाणिक सूचनाएं/ उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाय।

(2) गन्ना विभाग द्वारा संचालित संलग्न कार्यक्रमों का संचालन राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-2077सी0डी0/46-3-13-1000(74)/2012 दिनांक 31 जनवरी, 2013 एवं शासनादेश संख्या-2331सी0डी0/46-3-13-1000(74)/2012 दिनांक 22 नवम्बर, 2013 तथा शासनादेश संख्या-1492 सी0डी0/46-3-23-1000(72)/2012 दिनांक 06 अक्टूबर, 2016 द्वारा निर्गत मार्गदर्शक सिद्धान्तो (गाइड लाईन्स) के आधार पर क्रियान्वित की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(3) गन्ना विकास विभाग द्वारा संचालित जनपदवार/योजनावार कार्यक्रमों को संलग्न विवरण के अनुसार वर्ष 2018-19 के वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप उपयोग किया जाय तथा सम्पन्न कार्यक्रमों की समुचित पुष्टि कराते हुए यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि योजना अन्तर्गत लाभार्थियों को दी जा रही सब्सिडी/सहायक अनुदान में वर्तमान तथा भविष्य की अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति/दृविरावृत्ति न हो। इस हेतु समस्त उत्तरदायित्व जिला गन्ना अधिकारी एवं अपर गन्ना आयुक्त (विकास) का होगा।

(4) प्रस्तर-2 में वर्ष 2018-19 के लिए अनुमोदित कार्ययोजना के सापेक्ष स्वीकृत धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में ही किया जाना सुनिश्चित किया जाय तथा यदि धनराशि अवशेष बचती है तो उसे तत्काल शासन को समर्पित कर दिया जाय। तद्नुसार उपयोग की गयी धनराशि का कार्यक्रमवार/जिलावार विवरण शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(5) गन्ना विकास विभाग द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत संचालित संबंधित कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल/फाइनेंशियल हैण्डबुक के नियमों तथा केन्द्र सरकार/राज्य सरकार के कृषि एवं अन्य विभागों के द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों/नियमो एवं गाइडलाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(नरेश बहादुर)
विशेष सचिव।

संख्या-32/2018/1447(।)46-1-18-1000(56)/2014, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रमुख सचिव, कृषि विभाग उ.प्र. शासन।
2- अपर गन्ना आयुक्त(विकास)/वित्त नियन्त्रक, गन्ना आयुक्त कार्यालय, उ.प्र.।
3- निदेशक, लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान, उ.प्र., लखनऊ।
4- प्रभारी निदेशक, उ.प्र. गन्ना शोध परिषद शाहजहाँपुर।
5- समस्त सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उ.प्र.।
6- समस्त सम्बन्धित जिलाधिकारी, उ.प्र.।
7- विशेष सचिव, कृषि अनुभाग-3, उ.प्र. शासन।
8- समस्त जिला गन्ना अधिकारी/बीज उत्पादन अधिकारी**(संलग्नक में उल्लिखित जनपद के अनुसार)**
9- समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ.प्र. **(संलग्नक में उल्लिखित जनपद के अनुसार)**
10- नोडल अधिकारी(आर.के.वी.वाई.), उ.प्र. कृषि भवन लखनऊ।
11- नियोजन अनुभाग-3/राज्य योजना आयोग-1/2
12- वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-6/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
13- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शिव शंकर दिवेदी)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-32/2018/1447/46-1-18-1000(56)/2014 लखनऊ : दिनांक 23 जुलाई, 2018 का संलग्नक-1

क्र.	नाम जनपद	आधार पौधशाला बीज वितरण कार्यक्रम			प्राथमिक पौधशाला बीज वितरण कार्यक्रम			योग			कुल योग
		सामान्य	अनुसूचित जाति	जनजाति	सामान्य	अनुसूचित जाति	जनजाति	सामान्य	अनुसूचित जाति	जनजाति	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
1	सहारनपुर	341250	33750	0	1365200	135100	0	1706450	168850	0	1875300
2	मुजफ्फरनगर	414750	110250	0	1826875	485625	0	2241625	595875	0	2837500
3	शामली	224400	24900	0	2362500	262500	0	2586900	287400	0	2874300
	योग मण्डल	**980400**	**168900**	**0**	**5554575**	**883225**	**0**	6534975	1052125	0	**7587100**
4	मेरठ	152500	7500	0	1025000	53125	0	1177500	60625	0	1238125
5	बागपत	143850	2500	0	1110750	8750	0	1254600	11250	0	1265850
6	गाजियाबाद	1850	850	0	269375	3125	0	271225	3975	0	275200
7	हापुड़	72250	2050	0	324150	14050	0	396400	16100	0	412500
8	बुलन्दशहर	140050	28650	0	820000	180000	0	960050	208650	0	1168700
	योग मण्डल	**510500**	**41550**	**0**	**3549275**	**259050**	**0**	4059775	300600	0	**4360375**
9	मुरादाबाद	78750	8750	0	551250	61250	0	630000	70000	0	700000
10	रामपुर	101250	11250	0	425000	75000	0	526250	86250	0	612500
11	अमरोहा	159050	42300	0	1949050	216550	0	2108100	258850	0	2366950
12	बिजनौर	79650	14050	0	440925	77800	0	520575	91850	0	612425
13	सम्भल	72500	18100	0	325000	81250	0	397500	99350	0	496850
	योग मण्डल	**491200**	**94450**	**0**	**3691225**	**511850**	**0**	4182425	606300	0	**4788725**
14	बरेली	255600	28750	0	1218750	124875	0	1474350	153625	0	1627975
15	बदायू	102500	24750	0	406250	8175	0	508750	32925	0	541675
16	पीलीभीत	395000	105000	0	790000	210000	0	1185000	315000	0	1500000
17	शाहजहाँपुर	158550	39600	0	704200	176050	0	862750	215650	0	1078400
18	कासगंज	60000	15000	0	325000	81250	0	385000	96250	0	481250
19	मथुरा	3250	750	0	0	0	0	3250	750	0	4000
20	अलीगढ	130000	32500	0	525000	131250	0	655000	163750	0	818750
	योग मण्डल	**1104900**	**246350**	**0**	**3969200**	**731600**	**0**	**5074100**	**977950**	**0**	**6052050**
21	लखीमपुर	156750	25750	4500	1709375	412375	9250	1866125	438125	13750	2318000
22	सीतापुर	170000	47500	0	1455625	412500	0	1625625	460000	0	2085625
23	रायबरेली	15000	1850	0	53750	8750	0	68750	10600	0	79350
24	फरूर्खाबाद	32400	8750	0	145700	37500	0	178100	46250	0	224350
25	हरदोई	115600	30600	0	620425	13300	0	736025	43900	0	779925

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

26	कानपुर	13600	2000	0	38125	8750	0	51725	10750	0	62475
	योग मण्डल	**503350**	**116450**	**4500**	**4023000**	**893175**	**9250**	**4526350**	**1009625**	**13750**	**5549725**
27	फैजाबाद	330000	82500	0	1375000	343750	0	1705000	426250	0	2131250
28	सुल्तानपुर	83750	0	0	166875	5000	0	250625	5000	0	255625
29	बाराबंकी	99050	12500	0	206875	28750	0	305925	41250	0	347175
30	जौनपुर	27000	500	0	68750	500	0	95750	1000	0	96750
31	गाजीपुर	23750	1250	0	56250	6250	0	80000	7500	0	87500
32	वाराणसी	11000	2750	0	45000	1875	0	56000	4625	0	60625
33	अम्बेडकरनगर	62150	900	0	310875	4725	0	373025	5625	0	378650
	योग मण्डल	**636700**	**100400**	**0**	**2229625**	**390850**	**0**	**2866325**	**491250**	**0**	**3357575**
34	गोण्डा	240400	15350	0	1069250	68250	0	1309650	83600	0	1393250
35	बलरामपुर	337500	25000	2500	1375000	75500	20000	1712500	100500	22500	1835500
36	बहराईच	155600	6850	6250	446875	28125	12500	602475	34975	18750	656200
	योग मण्डल	**733500**	**47200**	**8750**	**2891125**	**171875**	**32500**	**3624625**	**219075**	**41250**	**3884950**
37	गोरखपुर	103750	25000	0	162500	37500	0	266250	62500	0	328750
38	बस्ती	194200	6750	0	865500	78500	0	1059700	85250	0	1144950
39	महराजगंज	227500	1500	0	212625	53275	0	440125	54775	0	494900
40	सिद्धार्थनगर	5600	600	0	28125	3125	0	33725	3725	0	37450
	योग मण्डल	**531050**	**33850**	**0**	**1268750**	**172400**	**0**	**1799800**	**206250**	**0**	**2006050**
41	कुशीनगर	239450	12500	0	1020825	100000	0	1260275	112500	0	1372775
42	देवरिया	31650	7900	0	141700	35425	0	173350	43325	0	216675
43	मऊ	72500	2500	0	181250	6250	0	253750	8750	0	262500
44	बलिया	11250	2750	0	47500	12500	0	58750	15250	0	74000
45	आजमगढ	237500	12500	0	775000	37500	0	1012500	50000	0	1062500
	योग मण्डल	**592350**	**38150**	**0**	**2166275**	**191675**	**0**	**2758625**	**229825**	**0**	**2988450**
	योग प्रदेश	**6083950**	**887300**	**13250**	**29343050**	**4205700**	**41750**	**35427000**	**5093000**	**55000**	**40575000**
उ०प्र०गन्ना शोध परिषद शाहजहांपुर,उ०प्र० को ब्रीडर शीड उत्पादन कार्यक्रम हेतु								3500000			3500000
कुल योग											**44075000**

(रूपये चार करोड़ चालीस लाख पचहत्तर हजार मात्र)

नोटः–जनपद शामली, हापुड, सम्भल तथा अम्बेडकरनगर को आवंटित धनराशि क्रमशः जिला गन्ना अधिकारी मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, मुरादाबाद तथा फैजाबाद द्वारा आहरित कर संबन्धित जनपदों को उपलब्ध कराया जायेगा तथा उ०प्र० गन्ना शोध परिषद शाहजहॉपुर को आवंटित धनराशि आहरण वितरण अधिकारी कार्यालय गन्ना आयुक्त द्वारा आहरण कर गन्ना शोध परिषद को उपलब्ध कराया जायेगा।

(नेरश बहादुर)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-32/2018/1447/46-1-18-1000(56)/2014 लखनऊ : दिनांक 23 जुलाई, 2018 का संलग्नक-2

क्र.	नाम जनपद	यंत्र वितरण कार्यक्रम	माईक्रोन्यूटियेन्ट वितरण कार्यक्रम	क्षेत्र प्रदर्शन कार्यक्रम	कुल योग
1	2	3	4	5	6
1	बरेली	43000	150000		193000
2	बदायू	35250	21000		56250
3	शाहजहाँपुर	32000	89750		121750
4	कासगंज	23500	30000		53500
5	अलीगढ	10500		60000	70500
योग मण्डल बरेली		**144250**	**290750**	**60000**	**495000**
6	जौनपुर	0	24000	0	24000
योग मण्डल फैजाबाद		**0**	**24000**	**0**	**24000**
योग प्रदेश		**144250**	**314750**	**60000**	**519000**

(रूपये पॉच लाख उन्नीस हजार मात्र)

(नरेश बहादुर)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।